

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ0ग0)

विज्ञापन क्र0 2517 / चयन समिति / 2023 बिलासपुर दिनांक 14 जुलाई 2023

कोर्ट मैनेजर अमला, स्टेनोग्राफर हिंदी (संविदा) के रिक्त 01 पद हेतु कौशल परीक्षा दिनांक 28.04.2024 दिन रविवार समय प्रातः 10:00 बजे से 11:00 तक

कौशल परीक्षा स्थान कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर के सभागार (Conference Room)

कोर्ट मैनेजर अमला, स्टेनोग्राफर हिंदी (संविदा) के रिक्त 01 पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से दावा आपत्ति पश्चात 1:10 के आधार पर कौशल परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों की अनुक्रमांक सहित संशोधित सूची (दिनांक 16.04.2024):-

स0 कं0	आवेदन पत्र क्र0	परीक्षार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	सर्वर्ग	पत्र व्यवहार का पता	महिला / पुरुष	प्रतिशत	अनुक्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24	लोचन देवांगन	श्री गौतम देवांगन	OBC	मेन रोड जूना बिलासपुर जयराम साड़ी दुकान के पीछे देवांगन मोहल्ला बिलासपुर छ0ग0	पुरुष	73.38	501
2	2	रमेश कुमार	श्री रामकुमार	OBC	ग्रा0 हरेठी वार्ड नं0 09 स्कूल पारा पोस्ट पोरथा तह0 सक्ती जिला जांजगीर-चापां	पुरुष	73.16	502
3	6	चंदा शर्मा	श्री अमरीका शर्मा	UR	चंदा फर्निचर उस्लापुर फाटक स्टेशन रोड बिलासपुर छ0ग0 495001	महिला	72.75	503
4	11	अभिषेक सिंह ठाकुर	श्री नरेन्द्र	UR	नेहरू नगर मुगंली नाका चौक पुराना आरटीओ आफिस गली डॉ खेत्रपाल गली बिलासपुर छ0ग0	पुरुष	71.42	504
5	10	जितेन्द्र कुमार साहू	श्री इन्द्र कुमार साहू	OBC	धौराभाठ मानस चौक पोस्ट चंदली तह0 लोरमी जिला मुंगेली छ0ग0	पुरुष	66.83	505
6	36	संगीता	श्री रामेश्वर प्रसाद	OBC	बांधापाली पोस्ट पीडिया तह0 करतला जिला कोरबा छ0ग0	महिला	66.72	506
7	5	निकिता सालूके	श्री ज्ञानेशवर राव सालूके	UR	तामस्कर भवन कोनहेर गार्डन के सामने तिलक नगर बिलासपुर छ0ग0	महिला	64.91	507
8	47	उमेश कुमार	श्री शाखाराम	UR	हाथा डाण्डू पो0 नांदल थाना व तह0 नवागढ जिला बेमेतरा छग0	पुरुष	64.83	508
9	22	लक्ष्मी पटेल	श्री भरत सिंह	OBC	एस0बी0 एस0 कालोनी एस0ई0सी0एल0 गायत्री नगर मकान नं0 308 वार्ड नं0 27 कोरबा छ0ग0	महिला	64.77	509
10	4	विवेक श्रीवास्तव	श्री संतोष श्रीवास्तव	OBC	गोंड पारा हुरीबाडा बिलासपुर छ0ग0 495001	पुरुष	62.78	510

टीप :- कौशल परीक्षा हेतु संशोधित पात्र सूची में अभ्यर्थी का नाम होने का यह अभिप्राय नहीं है कि अभ्यर्थी को चयन हेतु अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप चयन हेतु योग्य नहीं है तो उसे अपात्र किया जा सकेगा।

सही/-
राजभान सिंह
अध्यक्ष
(चयन समिति)
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर (छ.ग.)